विज्ञप्ति

शिक्षुता अधिनियम 1961 के अन्तर्गत इस कार्यालय में औद्योगिक प्रशिक्षुओं का एक वर्ष के लिए चयन किया जाना है। चयनित प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण एवं भत्ता शिक्षुता अधिनियम 1961 के अन्तर्गत देय होगा। ट्रेड वाईज विवरण निम्न प्रकार है :-

Sr. No.	Trade	No. of seat
01	Computer Operator	01
02	Hindi Steno	01
03	Carpenter	04
04	Motor Mechanic Vehicle	04
05	Diesal Mechanic	04
06	Welder	01
07	Forger Heat Treater	02
	TOTAL	17

नोट:- शिक्षुता अधिनियम 1961 के अनुसार किसी भी संस्थान से पूर्व में अपना प्रशिक्षण पूरा कर चुके प्रशिक्षु दूसरी बार प्रशिक्षण लेने के पात्र नहीं है।

आवेदन एव चयन प्रक्रिया :-

1. इच्छुक आवेदक ऑनलाईन पोर्टल website htts://www.apprenticeshipindia.gov.in/ पर अपना रजिस्ट्रेशन करके ऑनलाईन आवेदन दिनांक 09.02.2026 से 13.02.2026 तक करें। ऑनलाईन आवेदन करते समय आवेदक अपना फोटो, दसवीं की अंकतालिका, आई.टी.आई. पास की अंकतालिका, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड करें व आवेदक का प्रोफाईल आधार वैरिफाइंड होना बहुत ही आवश्यक है।
2. आवेदन प्रक्रिया केवल ऑनलाईन रहेगी, ऑफलाईन आवेदन कार्यालय में स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
3. आवेदक ऑनलाईन आवेदन करने के बाद अपनी अप्रेंटिसशिप प्रोफाईल व उपरोक्त सभी सम्बन्धित दस्तावेज लेकर दिनांक 18.02.2026 को कार्यालय महाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन, नया बस स्टैंड, पानीपत में लेखाधिकारी के कार्यालय कक्ष, कमरा नं0 07 में प्रात: 10:00 बजे Document Verification के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।
   आवेदक का चयन महाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन, पानीपत द्वारा गठित कमेटी द्वारा आवेदकों के सम्बन्धित दस्तावेज चैक करने के बाद आई.टी.आई. में प्राप्त प्रतिशत अंकों की मैरिट आधार पर किया जाएगा। यदि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें आवेदकों के आई0टी0आई0 के अंकों में समानता पाई जाती है, तो ऐसी स्थिति मैरिट का आधार दसवीं में प्राप्त अंकों को माना जाएगा।

सामान्य निर्देश:-

1. आवेदक का प्रोफाईल आधार वैरिफाईड होना चाहिए।
2. आवेदक हरियाणा का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है (Domicile of Haryana) या हरियाणा राज्य के अधीन मान्यता प्राप्त स्कूल से दसवीं प्राप्त होना अनिवार्य है।
3. आवेदक का नाम/पिता का नाम/जन्म तिथि पोर्टल पर दसवीं एवं आई.टी.आई. की अंकतालिका समान होनी चाहिए।
4. पोर्टल पर आवेदक की प्रोफाईल में दसवीं और आई.टी.आई. ट्रेड का विवरण तथा उसकी माता का नाम अनिवार्य है।
5. चयनित आवेदक की ज्वाईनिंग सहायक शिक्षुता सलाहकार, पानीपत द्वारा कान्ट्रेक्ट को स्वीकार करने के बाद ही प्रदान की जाएगी।
6. शिक्षुता प्रशिक्षण कान्ट्रेक्ट हरियाणा राज्य परिवहन में रोजगार का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है।
7. प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त हरियाणा राज्य परिवहन में प्रशिक्षु को नियमित नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है और आवेदक इसके लिए कोई दावा नहीं करेगा।
8. आवेदक को समय-समय पर अपनी ई-मेल को चैक करने और चयन प्रक्रिया के दौरान इसे सक्रिय रखने की सलाह दी जाती है।
9. आरक्षण शिक्षुता अधिनियम 1961 व शिक्षुता अधिनियम 1992 के प्रावधान अनुसार लागू किया जाएगा। एस.सी./ बी.सी.ए./ बी.सी.बी. के तहत के आरक्षण का दावा करने वाले आवेदक को अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर पंजीकरण के समय इसका विवरण देना होगा।
10. चयनित आवेदक को प्रशिक्षण के समय कार्यालय द्वारा कोई क्वार्टर/ हॉस्टल/फ्री परिवहन सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी।
11. महाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन, पानीपत के पास अप्रेंटिसशिप विज्ञप्ति में वर्णित रिक्तियों को घटाने/बढ़ाने/रद्द करने का अधिकार है।

हस्ता/- आदेशानुसार
हरियाणा राज्य परिवहन, पानीपत

PRDH-1119/11/818/2026/42744/67/6